इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2023—आश्विन 3, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

अधि. क्र. 16-एफ-1-15-2021-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन्, 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 292-क, 292-ख, 292-खक, 292-ग, 292ङ और 292-छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 व 356 के साथ पठित धारा 339-क, 339-ख, 339-खक, 339-ग, 339-ङ और 339-छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 जुलाई 2023 में सूचना के रूप में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 23 (1) में, उप-नियम (1) में दिनांक "31-12-2016" के स्थान पर दिनांक "31-12-2022" स्थापित की जाए.

2. नियम 24 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्.—

"(1) नियम 23 के उप-नियम (4) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में, निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के रहवासियों पर कोई विकास शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा. शेष अन्य रहवासियों पर विकास शुल्क की 50% राशि व्यक्तिगत रूप से प्रभारित की जायेगी और शेष 50% राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी.

परंतु निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के रहवासियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. 16-एफ-1-15-2021-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 16-एफ-1-15-2021-अठारह-3, दिनांक 25 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal the 25th September 2023

Noti. No.16-F-1-15-2021-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Sections -292A, -292B, -292BA, -292C, 292E and -292G read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Sections -339A, -339B, -339BA, 339C, -339E, and -339G read with Sections 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Colony Development) Rules, 2021 the same having been previously Published as Notice in Madhya Pradesh Gazette dated 14th July 2023, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Rule 23, in sub-rule (1) For the date "31-12-2016", the date 31-12-2022" shall be substituted.

2. In Rule 24, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) In an unauthorized colonies identified under sub-rule (4) of rule 23, no development fee will be charged on the residents of Low Income Group (LIG) and Economically Weaker Section (EWS). On the remaining other residents, 50% amount of development fee shall be charged individually and the remaining 50% amount shall be borne by the concerned body:

Provided that the Low Income Group (LIG) and Economically Weaker Section (EWS) residents shall be required to submit a certificate of Low Income Group (LIG) and Economically Weaker Section (EWS) issued by the competent authority."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.